क्रम-संख्या —72

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004

फाल्गुन 8, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 386/सात-वि-1-1(क)-2-2004

लखनऊ, 27 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 7 का संशोधन

2—किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, उपधारा (2) में शब्द "प्रति-कुलपति और हास्पिटल का एक मुख्य अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "हास्पिटल का मुख्य अधीक्षक" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

धारा 16 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (11) में शब्द "प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति-कुलपति न हो" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 18 का निकाला जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 18 निकाल दी जायेगी।

धारा 22 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 22 में से शब्द "प्रति-कुलपति" निकाल दिया जायेगा।

धारा 30 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

निरसन और अपवाद

9—(1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002) में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा किसी प्रति-कुलपति की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गयी थी। विश्वविद्यालय के आचार्यों में से पारस्परिक ज्येष्ठता को ध्यान में न रखते हुए प्रति-कुलपति की नियुक्ति की जा रही थी और कनिष्ठ आचार्य को प्रति-कुलपति के पद का कार्यभार समनुदेशित किया जा रहा था, जिसके कारण विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संकाय में एक अध्यक्ष पहले से ही नियुक्त किया गया था और इसलिए विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि विश्वविद्यालय में प्रति-कुलपति के पद को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाए।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2004 को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

U.P Ord no. 200

NO. 386 (2)/VII-V-1—1(KA)-2-2004

Dated Lucknow, February 27, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 4 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the King George's Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the King George's Medical University (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 2004.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 8 of 2002

2. In section 7 of the King George's Medical University Act, 2002 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section *(2) for* the words "The Pro-Vice-Chancellor and a chief superintedent of hospital" the words "The Chief Superintendent of hospitals" shall be *substituted.*

Amendment of section 8

3. In section 8 of the principal Act, clause *(b)* shall be *omitted.*

Amendment of section 14

4. In section 14 of the pirncipal Act, clause *(c)* shall be *omitted.*

Amendment of section 16

5. In section 16 of the principal Act, in sub-section (11) the words "The Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor", shall be *omitted.*

Omission of section 18

6. Section 18 of the principal Act shall be *Omitted..*

Amendment of section 22

7. In section 22 of the principal Act, the words "the Pro-Vice-Chancellor," shall be *omitted.*

Amendment of section 30

8. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1) clause *(d)* shall be *omitted.*

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 1 of 2004

9. (1) The King George's Medical University (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principla Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all meterial times.